

आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (04) आकाशि/नि.स./1995/

1265
अम्बरी

दिनांक:-

21/2/2018

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर अकादमी सत्र 2017-18 से निम्नलिखित महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर पूर्व संचालित विषय/संकाय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

महाविद्यालय का नाम व पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	संचालित संकाय/विषय
श्री वर्धमान कन्या महाविद्यालय, नेहरू गेट के बाहर, कृष्णा कॉलोनी, ब्यावर, अजमेर।	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।	स्नातक स्तर पर- कला संकाय- भूगोल। बीसीए।

1. संबंधित विश्वविद्यालय एवं बी0सी0आई0 से सम्बद्धता प्राप्त करने का दायित्व स्वयं संस्था का होगा।
2. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ को नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
3. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
4. संस्था को साथ-2 पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कालेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
5. संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी।
6. संस्था को मान्यता प्राप्त होने पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है।
7. संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्तालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
8. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
9. विधि महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
10. संस्था प्रति वर्ष आयुक्तालय/ नजदीकी राजकीय महाविद्यालय/ विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित आदि में पूर्ण सूचनाएँ भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
11. संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देगी।
12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें। इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपोर्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी जन एवं जनता को उपलब्ध हो सकेगी।
13. उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

आयुक्त

कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, अजमेर।
4. कुल सचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
5. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली

संयुक्त-निदेशक (नि.सं.)
कालेज शिक्षा, जयपुर(राज.)